Plea ? Issued by R&I 29/8/13

Speed post

(19)

No-13012/18/2013-K.VI

Government of India
Ministry of Home Affairs
Jammu and Kashmir Division

North Block, New Delhi
Dated 26th August, 2013

To

Shri Anoop Bajpai
S/o Late Shri Raja Bajpai
No. 30/41, Maheshwari Mohal
Dist. Kanpur – 208001
Uttar Pradesh

Subject: Seeking information under the RTI Act, 2005- regarding.

Sir,

Please refer to your application dated 23.07.2013(receipt on 19.08.2013) seeking information under RTI Act, 2005. It is intimated that there is no provision in the Ministry of Home Affairs to provide financial help and employment to the dependent of victim in Amarnath Yatra. However, your letter dated 28.05.2013 had been forwarded to the Principal Secretary (Home), J&K Government for appropriate action on 06.06.2013. You may please contact Principal Secretary (Home) in this regard.

2. The Appellate Authority in the matter is Shri R. K. Srivastava, Joint Secretary (Kashmir), MHA, North Block, New Delhi.

Yours faithfully,

26/8/13
(Bhopal Singh)
Director (Kashmir-II) and CPIO

15

Copy to:
RTI Section, MHA, North Block, New Delhi w.r.t. letter No. A-430/01/2013-RTI dated 12.08.2013.

30/08/13

26/8/13
(Bhopal Singh)
Director (Kashmir-II) and CPIO

ISSUED
30

O/C

CRN-1574261/JS(K)/13 30/8

689/DIRK(D)/13 30/8

<u>स्पीड पोस्ट</u>

<u>आर टी आई मामला</u>

फा. सं. 11045/8/2013-वी टी वी

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

(आई एस-।। प्रभाग : वी टी वी अनुभाग)

***

JS(K)

Dir(K)

द्वितीय तल एन डी सी सी-।। भवन,
जय सिंह मार्ग,
नई दिल्ली-110001,
दिनांक : 30.08. 2013

सेवा में

श्री अनूप वाजपेयी,
पुत्र स्व. श्री राजा वाजपेयी,
निवासी-30/41, माहेश्वरी मोहाल,
जिला-कानपुर-208001,
उत्तर प्रदेश।

विषय - सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत मांगी गई सूचना।

महोदय,

कृपया आपके पिता स्व. श्री राजा वाजपेयी, जिनकी वर्ष 2002 में अमरनाथ यात्रा के दौरान ननवास बेस कैंप, पहलगांव, जम्मू एवं कश्मीर में हुए आतंकी हमले के दौरान मृत्यु को गई थी, विषयक आपके दिनांक 23.07.2013 के पत्र की प्रति सहित श्री एस. सामन्ता, अवर सचिव, गृह मंत्रालय द्वारा अधोहस्ताक्षरी को अग्रेषित इस मंत्रालय के दिनांक 12.08.2013 के पत्र सं. ए-43020/1/2013-आर टी आई का संदर्भ लें।

2. आपके द्वारा अनुरोध की गई सूचना के संबंध में, अधोहस्ताक्षरी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी आतंकवाद/सांप्रदायिक/नक्सली हिंसा के केवल असैनिक पीड़ितों (सिविल विक्टिम) को उपलब्ध कराई जा रही वित्तीय सहायता संबंधी सूचना से ही संबंधित है।

3. इस संबंध में यह कहना है कि भारत सरकार, आतंकवाद/सांप्रदायिक/नक्सली हिंसा के असैनिक पीड़ितों के परिवारों को सहारा देने और रख-रखाव के लिए "आतंकवाद/सांप्रदायिक/नक्सली हिंसा के असैनिक पीड़ितों को केन्द्रीय सहायता" नामक योजना चला रही है। यह योजना 01.4.2008 से आतंकवाद तथा सांप्रदायिक हिंसा के संबंध में तथा दिनांक 22.06.2009 से नक्सली हिंसा के मामलों के संबंध में लागू है। इस योजना के तहत असैनिक पीड़ित/पीड़ित के उत्तराधिकारी को पीड़ित की मृत्यु या 50% या अधिक अक्षमता/विकलांगता के मामले में 03 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है बशर्ते कि राज्य सरकार द्वारा परिवार के किसी भी सदस्य को कोई रोजगार उपलब्ध न कराया गया हो। इस योजना का विस्तार संपूर्ण भारत में है।

4. "आतंकवाद/सांप्रदायिक/नक्सली हिंसा के केवल असैनिक पीड़ितों की सहायता के लिए केन्द्रीय योजना" पर इस मंत्रालय द्वारा 29.06.2012 के पत्र द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार पीड़ित/पीड़ित के उत्तराधिकारी को सहायता राशि का भुगतान जिला मैजिस्ट्रेट/उपायुक्त द्वारा किया जाएगा तथा तदुपरान्त राज्य सरकार, गृह मंत्रालय के समक्ष प्रतिपूर्ति के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी।

5. **आतंकवादी और साम्प्रदायिक हिंसा के शिकार असैनिक पीड़ितों की सहायता के लिए केन्द्रीय योजना दिनांक 01 अप्रैल 2008 से चलाई जा रही है तथा नक्सली हिंसा के सम्बन्ध में यह दिनांक 22 जून 2009 से चलाई जा रही है।**

6. इस विषय में अपील प्राधिकारी श्रीमती बीना प्रसाद, संयुक्त सचिव (सुरक्षा), गृह मंत्रालय, प्रथम तल, एन डी सी सी–II भवन, जय सिंह मार्ग, नई दिल्ली–110001 हैं।

भवदीय,

(आशीष वि. गवई)
अवर सचिव, भारत सरकार तथा
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
दूरभाषः 011–23438078

प्रतिलिपि अग्रेषितः

1. श्री एस. सामन्त, अवर सचिव, आर टी आई, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को उनके दिनांक 12 अगस्त, 2013 के पत्र सं. ए–43020/01/2013–आर टी आई के संदर्भ में।
2. संयुक्त सचिव, (आई एस–I) गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
3. संयुक्त सचिव (के.) गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।

No. 13012/06/2013-K.VI
Government of India\Ministry of Home Affairs
Department of Jammu and Kashmir Affairs
K.VI Desk

North Block, New Delhi
Dated 6th June, 2013

To

The Principal Secretary(Home)
Government of Jammu & Kashmir
Srinagar

Subject: **Request for appointment -reg.**

Sir,

I am directed to enclose herewith a copy of letter dated 28.05.2013 received from Shri Anup Bajpai S/o late Shri Raja Bajpai resident of Kanpur on the subject cited above for appropriate action in the matter.

Yours faithfully,

(Suman Dixit)
Under Secretary(K.VI)
Tel. No. 2309 3903

(193)

25/अमर(II)/13
3/6

सेवा में,

मुख्य सचिव
भारत सरकार

RECEIVED 31/5/13

REGISTERED
74/K-VI/2013
7/6/13

विषयः— अमरनाथ यात्रा 2002 नुनवान बेस कैम्प (पहलगांव) पर आतंकी हमले में मृतक के अश्रित को नौकरी एंव आर्थिक सहायता सम्बन्ध में।

आदरणीय महोदय,

सादर निवेदन है कि मेरे पिता स्वर्गीय राजा बाजपेई विगत अमरनाथ यात्रा के दौरान दिनांक 06.08.2002 को नुनवान बेस कैम्प (पहलगांव) में आतंकी हमले का शिकार हो गये थे जिसकी सूचना मैने पूर्व में भी दी थी परन्तु आज तक न तो मुझे नौकरी और न ही सहयाता राशि सम्बनधित कोई भी पत्र प्राप्त हुआ न ही राशि या नौकरी मिली

नोटः— जबकि देश में कोई ट्रेन एक्सीडेन्ट या कोई भी किसी प्रकार का हादसा होता है तो मृतक के परिवार को पाँच लाख रुपए का मुआवजा और एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाती है।

फिर मेरे पिता जी तो आतंकवादियो का शिकार हुए थे तो मुझे नौकरी या सहयाता राशि क्यो नही दी गई

अतः आपसे निवेदन है कि आप इस पत्र पर तकाल प्रभाव से कार्यवाही करते हुए मृतक के आश्रित को भारत सरकार के नियम के तहत सरकारी नौकरी एवं सहायता राशि दिलवाने की कृपा करें।

सादर

JS(K)

दिनांक :— 28-5-13

प्रार्थी

अनूप बाजपेई
पुत्र स्व. राजा बाजपेई
नि0 30/41 महेश्वरी मोहाल
कानपुर --208001

प्रतिलिपि प्रेषित
1. महामहिम राष्ट्रपति महोदय
2. प्रधानमंत्री महोदय, भारत सरकार
3. अध्यक्ष महोदय, लोक सभा
4. गृहमंत्री भारत सरकार
5. श्रीमति सोनियां गांधी अध्यक्ष कांग्रेस
6. श्री राहुल [illegible] सचिव कांग्रेस
7. श्री श्री [illegible] कोयला मंत्री एंव संसद सदस्य

3/6/2013

45/K-VI
3/6/13

नोट :—इस पत्र को प्राप्त करने के पश्चात् सम्बन्धित अधिकारियो से अनुरोध है कि इसमें क्या कार्यवाही हुई इसकी सूचना प्रार्थी को देने की कृपा करें। और इस मैटर को विशेष तौर पर देखते हुए प्रार्थी को नौकरी एंव सहयाता राशि दिलवाने की कृपा करें।

नोट :— इस पत्र को मिलने के पश्चात मुझे सूचना एंव 1 माह में जबाव देने की कृपा करें।